

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

संख्या-6/नि0-10162/07-552

पटना, दिनांक:- 28/05/09

पथ निर्माण विभाग के पत्र संख्या प्र0-6/नियम-03-04/02-13211(एस) दिनांक 16-10-08 सह पठित ज्ञापांक प्र0-6/नियम-03-04/02-5245 (एफ) दिनांक 26-12-08 के द्वारा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (जो पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-प्र0-6/नियम-03-04/02-5737 (एस0) दिनांक 7-5-07 द्वारा लागू किया गया है) के अनुरूप अपने विभाग के अधीन संवेदकों का निबंधन करेंगे। राज्य के किसी एक विभाग के द्वारा कालीकृत/दंडित किये जाने पर संवेदक अन्य विभागों में भी कार्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। संबंधित वृद्ध लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संवेदकों पर भी लागू होगा।

सरकार के उक्त निर्णय के फलस्वरूप लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में पूर्व में अधिसूचना संख्या 2579 दिनांक 18.6.2005 द्वारा निर्गत बिहार (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) ठीकेदारी सूचीबद्धता/नवीकरण नियमावली 2005 को विलोपित किया जाता है। पथ निर्माण विभाग में लागू उक्त ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भी लागू किया जाता है।

इस प्रयोजनार्थ पथ निर्माण विभाग के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (प्रति संलग्न) में, जहाँ भी पथ निर्माण विभाग अंकित है, उसे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग समझा जाय। साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंधित निर्माण कार्यों को भी शामिल समझा जाय तथा इसके क्रमांक-9 में प्रावधानित समय सीमा को अगले छः माह तक विस्तारित समझा जायेगा।

अन्य प्रावधान यथावत् रहेगा।

यह निर्गत की तिथि से लागू समझा जायेगा।

अनुलग्नक:-यथोपरि

बिहार राज्यपाल के आदेश से

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 6/नि0-10162/07-553

पटना, दिनांक- 28/05/09

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित अधीक्षक, राजकीय मुद्रपालक, गुलजारबाग, पटना-7 को आगामी बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित।
उनसे अनुरोध है कि उसकी 100 प्रतियों लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार, पटना के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव

(173)

ज्ञापांक- 6/नि0-10162/07-553

पटना, दिनांक-28/05/09

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, वीरचंड पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 6/नि0-10162/07-553

पटना, दिनांक-28/05/09

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित, विभागीय मंत्री के आत सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त. सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (नागरिक)/मुख्य अभियंता (रूपांकण)/मुख्य अभियंता (यांत्रिक)/संयुक्त सचिव (प्र0 को0) उप सचिव/अवर सचिव/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) लोक स्वास्थ्य अभियंता अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल/प्रबंधक निदेशक/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल परषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 6/नि0-10162/07-553

पटना, दिनांक-28/05/09

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव, सभी कार्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव